[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 3rd October, 2013]

हरियाणा सरकार

खाद्य एवं पूर्ति विभाग

आदेश

दिनांक 3 अक्तूबर, 2013

संख्या एफ०जी०1-2013/30655.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय-XI (पारदर्शिता एवं जवाबदेही) तथा खंड 29 में दिये ये ब्यौरे अनुसार, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा निम्न राज्य निगरान समिति का गठन किया जाता है :-

1. खाद्य एवं पूर्ति मंत्री, हरियाणा	अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य एवं पूर्ति विभाग	सदस्य
3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
4. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
6. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
7. महानिदेशक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा	सदस्य सचिव

उपरोक्त राज्य निगरान समिति निम्न कार्य करेगी :-

क. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वियन का नियमित रूप से प्रवेक्षण करना;

ख. इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना; और

ग. उसके द्वारा पाये गये किसी अनाचार या निधियों के दुरूपयोग के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में, सूचित करना।

उपरोक्त प्रयोजनों के लिये राज्य निगरान समिति किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम में कार्यरत अधिकारी/अधिकारियों की टीम को जांच अधिकारी/टीम मनोनीत कर सकती है।

कार्यालयी सहायता महानिदेशक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

धनपत सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग, चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक एफ०जी०1-2013/30656 दिनांक, चण्डीगढ़ : 3.10.2013

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा सरकार
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़
3. निजि सचिव/माननीय खाद्य मंत्री (माननीय खाद्य मंत्री महोदय की सूचना हेतु)
4. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, चण्डीगढ़

5. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, चण्डीगढ़
6. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़
7. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़
8. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़
9. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार (क्र. 4 से 8 को छोड़कर)
10. महानिदेशक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़
11. महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, पंचकुला
12. महानिदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़
13. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़
14. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकुला
15. महानिदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा, पंचकुला
16. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा, व्यापक प्रचार करने हेतु
17. सभी विभागाध्यक्ष (क्र. 10 से 15 को छोड़कर)
18. महाधिवक्ता, हरियाणा, चण्डीगढ
19. सभी मण्डलायुक्त, हरियाणा राज्य में
20. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य मे
21. सभी अतिरिक्त उपायुक्त, हरियाणा राज्य में
22. सभी पुलिस अधीक्षक, हरियाणा राज्य में
23. सभी उप-मण्डल अधिकारी (सिविल), हरियाणा राज्य में
24. सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, हरियाणा राज्य में
25. सभी अधिकारीगण, मुख्यालय।

(हस्ता.). . .,
अतिरिक्त निदेशक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग, चण्डीगढ़।